प्रकरण सं. 38/दावा/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बउनवान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हरिओम बनाम सरकार वगैरह

अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.A.

निर्णय   दिनांक 21-10-2021

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट में पेश कर कथन किया। कि वादी की पैतृक कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072-75 खाता सं. 126 कुल खसरा किता-6 योग रकबा 2.32 हैक्टर एवं खाता सं. 175 खसरा किता-6 योग रकबा 7.13 हैक्टर वाके ग्राम माखिदा तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमें वादी खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, एवं हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उपरोक्त जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उमाशंकर पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण दर्ज है जो गलत है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हरिओम पुत्र राधेश्याम है, वादी के सभी दस्तावेजों में हरिओम पुत्र राधेश्याम दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अन्त में निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि जमाबन्दियों में वादी का नाम उमाशंकर के स्थान पर हरिओम दर्ज किये जाने की डिक्री फरमाई जावे।

वादी का वाद [illegible] दर्ज [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] के सार्ग अगस्त 2021 में नियोजित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय माखिदा में रखा गया। वादी स्वयं व वादी के सहखातेदार मजमे आम मौजूद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	उपस्थित आये। तहसीलदार व हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका पर्चा से जाहिर हुआ कि वादी का वास्तविक नाम हरिओम पुत्र राधेश्याम ही है किन्तु वादी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता सं. 126 व खाता सं. 175 ग्राम म्याखिदा तहसील इन्द्रगढ़ में उमाशंकर पुत्र राधेश्याम दर्ज है। वादी का नाम उमाशंकर उर्फ हरिओम आत्मज राधेश्याम किया जाना उचित है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बून्दी वर्ष 2006-2007 की मार्कशीट की छायाप्रतियों मे वादी का नाम हरिओम पुत्र राधेश्याम दर्ज चला आ रहा है। शिविर मे उपस्थित गाव के मोतबिरान व्यक्तियो वादी के सहखातेदारो द्वारा मजमे आम मे वादी का नाम हरिओम पुत्र राधेश्याम होना स्वीकार किया। अतः वादी का वाद-पत्र न्यायहित मे आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89 R.T.Act आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम म्याखिदा तहसील इन्द्रगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता सं. 126 व खाता संख्या 175 मे [illegible] उमाशंकर पुत्र राधेश्याम को [illegible] घोषित कर उसके स्थान [illegible] उर्फ हरिओम पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21-10-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.12.10 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शिविर मुख्याल ग्राम पंचायत मालिता में लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.12.10 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner